

## आदेश

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा भू0अ0/2024/61 दिनांक 09.01.2024 अनुसार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजकीय रकबे का संरक्षण करते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। रिपोर्ट तहसीलदार 09.01.2024 निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

चिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी

चिड़ावा (सुंशुनु)